सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779

विज्ञप्ति

(RTI, 2005 के प्रशिक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का चयन)

राज्य के विभिन्न जनपदों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का जनसामान्य में जागरूकता/प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशालाओं और राज्य के लोक सूचना अधिकारियों/ विभागीय अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है जिसमें व्याख्यान हेतु Resource Persons का एक पैनल तैयार किया जाना है। Resource Persons के तौर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 31.01.2019 तक आवेदन पत्र सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नाम पर पंजीकृत डाक से आमंत्रित किये जाते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में प्रकाशन/प्रशिक्षण इत्यादि का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हो, जो पढ़ने–पढ़ाने व पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक हों, और अच्छा संचार कौशल (Communication Skills) रखते हों। विधि स्नातक/परास्नातक वालों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप, चयन की प्रकिया व अन्य शर्तें उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट **http://uic.gov.in** अथवा आयोग कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कक्ष संख्या 204 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(शालिनी नेगी, प्रभारी सचिव)

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान हेतु Resource Persons के पैनल हेतु चयन की प्रक्रिया व अन्य शर्ते

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के नाम से निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक से दिनांक 31.01.2019 की अपराह्न 06.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही चयन हेतु विचार किये जाएंगे।

2. आवेदन पत्र के लिफाफा के शीर्ष पर "RTI Resource Person हेतु आवेदन पत्र" अवश्य अंकित किया जाए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित शोध, व्याख्यान, लेखन, प्रशिक्षण इत्यादी का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले ऐसे स्नातक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो पहाडी क्षेत्रों में काम करने की इच्छुक हों। विधि स्नातक/परास्नातक या इस क्षेत्र में व्याख्यान का विशेष अनुभव रखने वाले या लेखन व प्रकाशन इत्यादि क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

4. चयनित व्यक्तियों को राज्य के किसी भी स्थान पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भेजा जा सकता है। प्रशिक्षण का कार्य दिनांक 15 मार्च, 2019 से पूर्व पूर्ण किया जाना है।

5. चयनित व्यक्तियों के द्वारा निम्न कार्य किये जाने की अपेक्षा है –

   (क) मा0 आयोग के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न जनपदों/तहसीलों/विकास खण्डों में लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों एवं जनसामान्य को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
   (ख) प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन, प्रशिक्षण मॉडयूल व प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
   (ग) सूचना का अधिकार अधिनिमय पर मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालयों के आदेशों का Compendium तैयार करना।
   (घ) आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा की गयी पृच्छाओं व उसके सम्बन्ध में दिए गए सुझाव से अवगत कराया जाना।
   (ड) मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय व मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण द्वारा निर्देशित सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित अन्य कार्य।

6. प्राप्त आवेदनों पर अंतिम चयन मा0 मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों की समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

7. आवेदनों की संख्या अधिक होने पर मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण की समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुरूप उपयुक्त आवेदकों को उनके अनुभव एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर Short List किया जायेगा, जिसमें से साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

8. चयनित व्यक्तियों को प्रस्तर 4 में उल्लिखित कार्य हेतु निम्न मानदेय व भत्ते प्रदान किये जाएगें –
   (क) प्रति व्याख्यान रू0 1000/– प्रति घण्टा मानदेय देय होगा।
   (ख) प्रशिक्षण के दौरान दैनिक भत्ता (रहने व भोजन हेतु) अधिकतम रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अनुमन्य होगा।
   (ग) रेल द्वारा यात्रा किये जाने पर रेल का ए0सी0 टू टियर/प्रथम श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा। जो स्थान रेल से जुडे न हो वहां डीलक्स बस का किराया देय होगा। निजी वाहन से यात्रा किये जाने पर अधिकृत रेल /डीलक्स बस का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।
   (घ) प्रशिक्षण से संबंधित मॉडयूल, सामग्री व अन्य तैयारी अधिकतम प्रथम सात दिवसों में पूर्ण ही जानी होगी जिस हेतु रू0 500/– प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 3500/– अनुमन्य होंगे। उक्त कार्य हेतु अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण मॉडयूल की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को देनी होगी।
   (ड) स्टेशनरी/लेखन सामग्री आदि आयोग के द्वारा अनुमन्य कराया जाएगा।

आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज
स्वप्रमाणित फोटो

1. नाम ....

2. पिता का नाम ....

3. वर्तमान पता ....

....

4. स्थायी पता ....

....

5. ई–मेल / दूरभाष नम्बर ....

6. जन्म तिथि ....

7. शैक्षिक योग्यता –

1	शैक्षिक योग्यता	संस्थान	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत
2	हाइस्कूल			
3	इण्टर			
4	स्नातक			
5	स्नात्कोत्तर			
6	अन्य			

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में कार्य करने का अनुभव –

कम	अनुभव	विवरण
1	समाचार पत्र / पत्रिका का प्रकाशन	

2	पत्र/पत्रिका/समाचार पत्रों में लेख/रिसर्च पेपर आदि	
3	केन्द्र /राज्य सरकार के द्वारा आयोजित सेमीनार/ प्रशिक्षण/ जागरूकता कार्यकम/ में व्याख्यान/प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव	
4	अन्य सम्बन्धित अनुभव	

स्वप्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अंकित विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। मेरी द्वारा अंकित विवरण सही न पाये जाने पर इस हेतु आयोग के द्वारा विधिसम्मत् जो कार्रवाही की जाएगी वह स्वीकार होगी।

दिनांक

हस्ताक्षर :– ....

नाम :– ....

पूर्ण पता :– ....

संलग्नक :–

1. पहचान पत्र व निवास का प्रमाण।
2. शैक्षिक योग्यता व अनुभव से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।